बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

पटना दिनांक– 06/08/2024

विषयः–खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक, उप निदेशक एवं अपर निदेशक के प्रोन्नति के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति करने का निर्णय संबंधी संकल्प संख्या–5808 दिनांक 25.11.2022 को संशोधित करने एवं प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक (खनिज विकास) के 01 पद एवं उप निदेशक (खनिज विकास) के 01 पद पर नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

खान एवं भूतत्व विभाग में निदेशक (वेतन स्तर–13A) के 01 पद, अपर निदेशक (वेतन स्तर–13) के 02 पद, उप निदेशक (वेतन स्तर–12) के 11 पद, सहायक निदेशक (वेतन स्तर–11) के 15 पद एवं खनिज विकास पदाधिकारी (वेतन स्तर–9) के 46 पद स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 3446 दिनांक 04.10.2019 से स्वीकृत हैं। खान एवं भूतत्व सेवा के मूल कोटि खनिज विकास पदाधिकारी के स्वीकृत पद का 75 प्रतिशत सीधी भर्ती से एवं 25 प्रतिशत प्रोन्नति से भरा जाना है। विभागीय संकल्प संख्या 5808 दिनांक 25.11.2022 के द्वारा प्रोन्नति के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के माध्यम से सीधी नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है, जिसे संशोधित किये जाने की आवश्यकता है।

मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक के 02 पद यथा–अपर निदेशक (खनिज विकास) एवं अपर निदेशक (प्रशासन) तथा उप निदेशक के 02 पद यथा–उप निदेशक (खनिज विकास) एवं उप निदेशक (आँकड़ा बैंक) का पद सृजित है, जो रिक्त है। मुख्यालय स्तर पर तकनीकी संवर्ग के वरीय पदाधिकारियों के पद रिक्त रहने से खनन, अन्वेषण एवं राजस्व संग्रहण संबंधी कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वर्तमान में बिहार खान एवं भूतत्व सेवा के बेसिक ग्रेड खनिज विकास पदाधिकारी तथा प्रोन्नति के पद सहायक निदेशक के पद पर ही पदाधिकारी कार्यरत है। इन पदाधिकारियों को उप निदेशक एवं अपर निदेशक में प्रोन्नति में काफी विलम्ब है। इस हेतु मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक (खनिज विकास) के 01 पद एवं उप निदेशक (खनिज विकास) के 01 पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता है।

2– खान एवं भूतत्व विभाग मूलतः लघु एवं वृहद् खनिजों के उत्खनन के लिये नीति निर्धारण, मूल्य नियंत्रण एवं राजस्व वसूली का कार्य सम्पादित करता है। विभाग में खान एवं भूतत्व संवर्ग के वरीय पदाधिकारियों की अत्यंत कमी है, जिसके कारण विभाग में लघु खनिजों के बंदोबस्ती, वृहद खनिजों के नए श्रोतों की खोज/बंदोबस्ती, राजस्व संग्रहण इत्यादि कार्य प्रभावित होते हैं। इन सब बिन्दुओं को समुचित रूप से क्रियान्वयन हेतु विभाग में खनिज एवं उससे संबंधित नियमों के विशेषज्ञ वरीय पदाधिकारियों की आवश्यकता है।

3– बिहार खान एवं भूतत्व सेवा के प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए योग्य पदाधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों के लंबे समय तक रिक्त रहने एवं विभागीय कार्यों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए बिहार खान एवं भूतत्व सेवा नियमावली, 2008 के प्रावधानों को एक बार क्षांत करते हुए खनिज विकास पदाधिकारी के प्रोन्नति से भरे जाने वाले पद सहायक निदेशक, उप निदेशक एवं अपर निदेशक के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति करने का निर्णय मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति से संकल्प संख्या–5808 दिनांक 25.11.2022 से लिया गया।

4– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक 13.10.2023 द्वारा राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद के सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। अतएव खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक, उप निदेशक एवं अपर निदेशक के प्रोन्नति के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति करने का निर्णय संबंधी संकल्प संख्या–5808 दिनांक 25.11.2022 को संशोधित किया जाना है।

5– अतएव खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक, उप निदेशक एवं अपर निदेशक के प्रोन्नति के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति करने का निर्णय संबंधी संकल्प संख्या–5808 दिनांक 25.11.2022 को संशोधित करने एवं प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक (खनिज विकास) के 01 पद एवं उप निदेशक (खनिज विकास) के 01 पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति दी जाती है :–

क– अपर निदेशक के एक पद एवं उप निदेशक के एक पद की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर अगले 03 वर्षों के लिए होगी, जो आवश्यकतानुसार 02 वर्षों तक बढ़ायी जा सकती है।

ख– निम्नलिखित कार्यालयों/क्षेत्रों में कार्यरत वेतन स्तर–13 एवं समकक्ष के पदाधिकारी अपर निदेशक पद हेतु तथा वेतन स्तर–12 एवं समकक्ष के पदाधिकारी उप निदेशक पद हेतु प्रतिनियुक्ति के लिए योग्य होंगे:–

i. भारत सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के खान एवं भूतत्व संवर्ग के पदाधिकारी।

ii. खनन एवं भूतत्व से जुड़े भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ यथा–कोल इंडिया लिमिटेड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लि० इत्यादि।

ग– विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन उपरोक्त निहित शर्तों के आधार पर प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

घ— प्रतिनियुक्ति 03 वर्ष अथवा 59 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी, आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति अवधि घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

ङ— प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का वेतन उनके मूल वेतन के आधार पर सभी अनुमान्य भत्तों सहित की जायेगी।

6— प्रस्ताव पर दिनांक 06.08.2024 की बैठक में मद संख्या—08 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—प्र0—01—रा0(वि0)—06/2022—....................../एम0, पटना, दिनांक—.....................

प्रतिलिपिः—अवर सचिव, (ई—गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—प्र0—01—रा0(वि0)—06/2022—....................../एम0, पटना, दिनांक—.....................

प्रतिलिपिः—सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—प्र0—01—रा0(वि0)—06/2022—....................../एम0, पटना, दिनांक—.....................

प्रतिलिपिः—सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—प्र0—01—रा0(वि0)—06/2022—....................../एम0, पटना, दिनांक—.....................

प्रतिलिपिः—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 06.08.2024 की बैठक में मद संख्या—08 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—प्र0—01—रा0(वि0)—06/2022—....................../एम0, पटना, दिनांक—.....................

प्रतिलिपिः—सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–01–रा0(वि0)–06/2022–......................./एम0, पटना, दिनांक–.......................
प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव कोषांग/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–01–रा0(वि0)–06/2022–3226/एम0, पटना, दिनांक–06/08/24
प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/8/24.
सरकार के अपर सचिव।

D/Birendraji/Sanjay/Sankalp